

**फर्द अहकाम**  
**बाबू लाल बनाम सीताराम वर्मा**

नाम न्यायालय

केस संख्या 153/2012

नं. 1.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07/6/18	<p>आज यह पतावली आज्ञा आपके द्वार केन्द्र कोटे ग्राम निवासा में पेश हुई। पतावली का अवलोकन किया गया। पतावली का की समय से कर्ष नं. 1. हेतु सहामित्त-चली आ रही है। मूल काद-धोषणा, दुरुस्ती इत्यादि के अर्थ निषेधाज्ञा का ही प्रकाश में दिनांक 31/10/12 को अन्तरिम अर्थात् निषेधाज्ञा जारी की गई है। उक्त अन्तरिम अर्थात् निषेधाज्ञा को मूल काद के विचारण तक उभय पक्षों को पाबंद करते हुए कन्फर्म किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अर्थात् निषेधाज्ञा दिनांक 31/10/12 को वाफसुखा मूल काद उभय पक्षों को पाबंद करते हुए कन्फर्म की जाती है। पतावली फर्द का अर्थ नम्बर से कम है तथा मूल काद के साथ रहे।</p>	

